



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19519 वर्ष 2025

नितीश कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव कुमार, शिव पूजन यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., जय प्रकाश राय

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव पूजन यादव तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जय प्रकाश राय के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए ए/आर संख्या 0197/2012 श्री राजीव गिरी को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना हेतु दाखिल की गई है:

"I. प्रत्यर्थीगण को निर्देशित करते हुए परमादेश के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को एस.एस.सी. जी.डी. भर्ती, 2015 के अनुसार, जो कि कर्मचारी चयन आयोग (केन्द्रीय क्षेत्र) इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा विज्ञापित की गई थी, के अंतर्गत आरक्षी (सामान्य ड्यूटी) के पद पर नियोजन प्रदान करें, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर।

II. प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण को निर्देशित करते हुए परमादेश के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत किया जाए कि वे याचिकाकर्ता का दिनांक 30.11.2025 का अभ्यावेदन, जो प्रत्यर्थी संख्या 3/उप निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (केन्द्रीय क्षेत्र), 34-ए, केन्द्रीय सदन, एम.जी. मार्ग, सिविल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लाइन्स, प्रयागराज के समक्ष लंबित है, का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करें, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।

///.....

IV....."

3. आज निर्देशों के आधार पर, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता दिनांक 17.01.2019 को निरस्त कर दी गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वह उक्त के विरुद्ध पृथक् रिट याचिका दाखिल करते हुए उसे चुनौती देंगे।
5. उपर्युक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं तथा परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किए जाते हैं।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।